

पत्रांक-योजना बजट-288/2025-6003/प०व०ज०प०
बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-19/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 अन्तर्गत कॉजवे निर्माण हेतु कुल 82,95,294/- (बेरासी लाख पंचानवे हजार दो सौ चौरानवे रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 अन्तर्गत कॉजवे निर्माण हेतु कुल 82,95,294/- (बेरासी लाख पंचानवे हजार दो सौ चौरानवे रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-723, दिनांक-17.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110-वन्य जीव परिरक्षण, उपशीर्ष 0121-वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विपत्र कोड-19-2406021100121 के विषय शीर्ष-0121.02.01-मजदूरी, 0121.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा 0121.27.01-लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकी व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-02, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. संचिका संख्या-288/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-18.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-18.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-18.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-19.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-288/2025-6003/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-19/11/2025


प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-288/2025-6003/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-19/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

उच्चस्तरीय तकनीकी प्राक्कलन जाँच समिति का प्रतिवेदन

योजना क्रमांक :

बैठक कि तिथि

प्र.मु.व.सं. (वि.) के गै.स.प्रे.सं. दिनांक2024 द्वारा प्रेषित।

1	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना का पत्रांक एवं दिनांक		
2	परिक्षेत्र का नाम	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना	
3	प्रस्तावित योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद आधारभूत संरचना के अंतर्गत Causeway निर्माण के तहत प्रस्ताव Construction of Causeway 10 Unit	
4	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया।	
5	प्राक्कलनों की संख्या	10	
6	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद आधारभूत संरचना के अंतर्गत Causeway निर्माण के तहत प्रस्ताव Construction of Causeway 10 Unit	
7	वित्तीय लक्ष्य	8295294/-	
8	तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी :-	वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया।	
9	कार्य स्थल (अधिसूचित वन / आश्रयणी/ राष्ट्रिय उद्यान, गैर वन भूमि) का प्रकार	अधिसूचित वन	
10	गैर वन भूमि के मामले में भूमि के स्थानान्तरण की स्थिति	-	
11	योजना प्राक्कलन का आधार		
	(i) विभागीय SoR	हाँ / नहीं	नहीं
	(ii) BCD SoR	हाँ / नहीं	हाँ
	(iii) WRD SoR	हाँ / नहीं	नहीं
	(iv) बाजार दर	हाँ / नहीं	नहीं
	(v) RCCF / DEE द्वारा निर्धारित दर	हाँ / नहीं	नहीं
	(vi) अन्य विभाग का SoR, उल्लेख करें		
12	बाजार दर अथवा RCCF / DEE द्वारा निर्धारित दर से संबंधी अभिलेख संलग्न की स्थिति	संलग्न संलग्न नहीं	अभिलेख संलग्न
13	BCD / WRD एवं अन्य विभाग की स्थिति में निम्न सूचनाएं		
	(i) क्या 13.043% contractor profit कटौती की गई है ?	हाँ / नहीं	हाँ

62

	(ii) क्या मजदूरी की राशि पर 0.1405 गुणक में GST कटौती की गई है ?	हाँ / नहीं	हाँ
	(iii) क्या मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हाँ, तो श्रेणीवार मजदूरों की गणना (BoQ) के आधार पर मजदूरी बढ़ायी गई है ?	हाँ / नहीं	हाँ
	(iv) क्या सामग्री दर में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हाँ तो उसका क्या आधार संलग्न किया गया है ?	हाँ / नहीं	हाँ
		हाँ / नहीं	हाँ
	(v) carriage cost की गणना से समिति संतुष्ट है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	हाँ
14	पत्रांक 376/विकास दिनांक 10-04-23 के अनुपालन कि स्थिति -		अनुपालन की गई है।
	(i) वृक्षारोपण / मृदा और नमी संरक्षण / गारलैंड ट्रेंच की योजनाओं के मामले में संबंधित कंडिका - 6/7/8 के अनुरूप मानचित्र संलग्न है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
	(ii) वृक्षारोपण / मृदा और नमी संरक्षण / गारलैंड ट्रेंच की योजनाओं के मामले में संबंधित कंडिका - 6/7/8 के बिन्दुओं का पालन किया गया है एवं आवश्यक प्रमाणपत्र अंकित है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
	(iii) विभागीय पौधशाला के मामले में कंडिका - 9 के बिन्दुओं का पालन किया गया है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	लागू नहीं।
15	भवन निर्माण कि योजना होने कि स्थिति में :		
	भवन का क्षेत्रफल :-	-	लागू नहीं।
	लागत प्रति वर्ग फिट :-		लागू नहीं।
16	चहारदीवारी निर्माण कि योजना होने कि स्थिति में :		
	चहारदीवारी की लम्बाई :-		लागू नहीं।
	लागत प्रति रनिंग फिट :-		लागू नहीं।
17	अन्य कोई महत्वपूर्ण अभियुक्ति / मंतव्य		
	वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं गश्ती कार्य हेतु Causeway निर्माण का प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है। जिससे सालो भर मानसून काल के साथ अन्य काल में वन गश्ती कार्य सुचारू ढंग से सम्पन्न किया जा सके।		
18	उच्चस्तरीय समिति की योजना स्वीकृति के संबंध में अनुशंसा		

Le Noel
 Conservator of Forest-cum-
 FIELD DIRECTOR
 VALMIKI TIGER RESERVE
 West Champaran, BETTIAH

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
 वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया, पश्चिम चम्पारण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क और पुल आधारमूल संरचना, (राज्य योजना) गद अन्तर्गत (Causeway) निर्माण का प्रस्ताव कार्य।

Sl.No.	Item Of Work	Name of Range/Work Location	Physical Target (Hac Mtr. No.)	Unit rate Per Month/per unit rate	Demand in (Rs) Lac.	Justification/work GPS Location	Remarks
1	Construction of Causeway	Valmikinagar	i	458450	458450	Estimate Attached Comp. No. T-34 (Ghotwa Tola), GPS- N-27*23'49", E-83*56'26"	Annexure-01
2	Construction of Causeway	Ganauli	1	2141938	2141938	Estimate Attached Comp. No. T-42, GPS- N-27.424398, E-83.999737	Annexure-02
3	Construction of Causeway	Ganauli	1	329159	329159	Estimate Attached Comp. No. T-18, GPS- N-27.336247, E-84.01469	Annexure-03
4	Construction of Causeway	Ganauli	1	436213	436213	Estimate Attached Comp. No. T-20, GPS- N-27.337062, E-84.013142	Annexure-04
5	Construction of Causeway	Ganauli	1	696711	696711	Estimate Attached Comp. No. T-20&21, GPS- N-27.346685, E-84.004167	Annexure-05
6	Construction of Causeway	Chiutaha	1	336229	336229	Estimate Attached Comp. No. K-50/51, GPS- N-27*17'14", E-84*12'15"	Annexure-06
7	Construction of Causeway	Chiutaha	1	576207	576207	Estimate Attached Comp. No. K-30, GPS- N-27*17'37", E-84*6'32"	Annexure-07
8	Construction of Causeway	Chiutaha	1	480279	480279	Estimate Attached Comp. No. K-36, GPS- N-27*19'47", E-84*9'26"	Annexure-08
9	Construction of Causeway	Chiutaha	1	691006	691006	Estimate Attached Comp. No. K-45, GPS- N-27*16'48", E-84*10'44"	Annexure-09
10	Construction of Causeway	Madanpur	1	2149102	2149102	Estimate Attached Comp. No. M-17 GPS- N-27*17'22", E-83*56'1"	Annexure-10
GRAND TOTAL					8295294		

Countersigned-for *Technical sanction accorded for*

Rs. 8295294 (Eighty two lakh ninty five thousand two hundred ninety four ony)

Submitted by

Rs. 8295294 (Eighty two lakh ninty five thousand two hundred ninety four ony)

Conservator of Forest-cum Field Director
Valmiki Tiger Reserve, Bettiah.

D.F.O. -cum- Dy. Director,
Valmiki Tiger Reserve, Div-2, Bettiah

Director
Ecology & Environment
Patna